उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

इंस्टीट्यूटशन ऑफ इंजीनियर्स बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर आई०एस०बी०टी०, माजरा, देहरादून
फोन–0135–2641119 फैक्स–2641314 वेबसाईट– www.uerc.in ई–मेल– uerc@indiatimes.com

सार्वजनिक सूचना

समक्ष माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली

निम्नलिखित के मामले में :

मै० पॉलीप्लैक्स कारपोरेशन लि०
बी–37, सैक्टर–1, नोएडा–201301
गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. .... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग एवं अन्य ....प्रतिवादी

चूंकि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (आयोग) ने उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों से यू.पी.सी.एल. द्वारा प्रभारित किए जाने वाले खुदरा विद्युत दरों को अनुमोदित करते हुए उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० (यू.पी.सी.एल.) की ए.आर. आर. याचिका पर वर्ष 2009–10 के लिये एक टैरिफ आदेश दिनांक 23.10.2009 को जारी किया है जो कि दिनांक 01.10.2009 से प्रभावी है।

चूंकि आयोग के उपरोक्त टैरिफ आदेश दिनांक 23.10.2009 के विरूद्ध माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (माननीय न्यायाधिकरण) के समक्ष एक एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ता–मै० पॉलीप्लैक्स कारपोरेशन लि० (अपीलकर्ता) द्वारा एक अपील संख्या 41/10 व आई.ए. संख्याः 51/10 व 52/10 दाखिल की गयी है एवं माननीय न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 04.05.2010 में आयोग को निम्नलिखित निर्देश दिए हैः–

"चूंकि यह अपील टैरिफ आदेश के विरूद्ध है, हम महसूस करते हैं कि यह उचित होगा कि सामान्य उपभोक्ता को समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जाए ताकि वे अपनी आपत्ति, यदि कोई हो, तो न्यायाधिकरण को, अपील का संदर्भ देते हुए, और उसे अपीलकर्ता को प्रेषित करते हुए, भेजे जा सकते हैं। आयोग, अपीलकर्ता के व्यय पर, एक जन–सूचना यह सूचित करते हुए विज्ञापित करेगा कि, खुदरा विद्युत दर आदेश दिनांक 23.10.2009 के विरूद्ध एक अपील माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दाखिल की गयी है और उपभोक्ताओं से इस सूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन के 02 सप्ताह के भीतर आपत्तियां दाखिल करने का आग्रह करेगा। विरोधकर्ता को इम्प्लीड (implead) करने की आवश्यकता नहीं है"।

उक्त अपील टैरिफ आदेश दिनांक 23.10.2009 के विरूद्ध है जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के समस्त श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के टैरिफ का निर्धारण किया गया था, अतः समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि कोई उपभोक्ता माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष मै० पॉलीप्लैक्स कारपोरेशन लि० की अपील का विरोध करने में रूचि रखता है तो वह अपनी आपत्ति अपीलकर्ता को प्रेषित करने के साथ ही माननीय विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण के निम्नलिखित पते पर अपनी आपत्ति प्रेषित कर सकता हैः

रजिस्ट्रार
विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण,
सातवां तल, कोर–4,
स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड़,
नई दिल्ली – 110003.

आपत्तियां इस सूचना के प्रकाशन तिथि के दो सप्ताह के अन्दर प्रेषित की जा सकती हैं। उपरोक्त प्रकरण दिनांक 08.07.2010 को सुनवाई हेतु सूचिबद्ध है। आपत्तिकर्ता मै० पॉलीप्लेक्स कारपोरेशन लि० की उक्त अपील को आयोग की वेबवाईट www.uerc.in से डाउनलोड कर सकता है या अपीलकर्ता से प्राप्त कर सकता है। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आयोग के सचिव से भी संपर्क किया जा सकता है।

सचिव

Adv.No. 04/10-11